(ii) स्थानीय समुदाय की सहायता, विद्यालय निधियों का सृजन और विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की उन्नति व विद्यालय सुधार सम्मेलनों की व्यवस्था द्वारा गतिशील होनी चाहिए।

(iii) जिला विद्यालय परिषदों द्वारा जिला परिषदों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में भूमि राजस्व (मालगुजारी) पर कर लगाकर शिक्षा के लिए कोष विकसित किए जाने चाहिए। कोषों के संकलन को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार जिला परिषदों द्वारा इस प्रकार के संकलित अतिरिक्त राजस्व के आनुपादिक सहायता अनुदान दे।

(iv) शिक्षा की लागत का एक निश्चित अनुपात पालिकाओं द्वारा वहन करना अनिवार्य होना चाहिए।

(III) कृषि शिक्षा, व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव (SUGGESTIONS ABOUT AGRICULTURAL EDUCATION, VOCATIONAL EDUCATION AND TECHNICAL EDUCATION)

(i) विद्यालयी स्तर पर कृषि शिक्षा—आयोग ने प्राथमिक स्तर पर कृषि सम्बन्धी सामान्य जानकारी को पाठ्यचर्या का अनिवार्य अंग बनाये जाने की अनुशंसा करते हुए, माध्यमिक स्तर पर कृषि विद्यालयों की स्थापना व कृषि को कार्यानुभव का महत्वूपर्ण अंग बनाने का सुझाव दिया। इसके साथ ही उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कृषि विषय में विशिष्टीकरण की व्यवस्था किये जाने की अनुशंसा भी की।

(ii) पॉलिटेक्निक स्तर पर कृषि शिक्षा—आयोग ने माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण सामान्य छात्रों के लिए प्रत्येक प्रान्त में पर्याप्त पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाने व उनमें आवश्यकतानुसार कृषि शिक्षा की व्यवस्था कर इन्हें कृषि विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध किये जाने का भी सुझाव दिया। इन कॉलेजों में कृषकों और कृषि में विशेष रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए सघन व संक्षिप्त कार्यक्रम चलाए जाने का भी सुझाव दिया गया।

(iii) महाविद्यालय स्तर पर कृषि शिक्षा—महाविद्यालय स्तर पर कृषि शिक्षा हेतु आयोग ने प्रत्येक कृषि महाविद्यालय के पास कम से कम 200 एकड़ कृषि योग्य भूमि का फार्म होने तथा कृषि स्नातक पाठ्यक्रम के स्थान पर उच्च कृषि तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था किये जाने का सुझाव दिया। इस हेतु वर्तमान कृषि महाविद्यालयों की दशा सुधारने का भी सुझाव दिया गया। इन सभी कृषि महाविद्यालयों का हर पाँच वर्ष बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किए जाने की आवश्यकता भी अनुभव की गई।

(iv) विश्वविद्यालय स्तर पर व अन्य कृषि संस्थाओं में कृषि शिक्षा—विश्वविद्यालय स्तर पर कृषि शिक्षा हेतु आयोग ने प्रत्येक प्रान्त में कम से कम एक शिक्षण कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया, जिसमें कम से कम 1000 एकड़ कृषि योग्य भूमि का फार्म हो तथा स्नातक एवं परास्नातक शिक्षा व कृषि में अनुसंधान कार्य की उत्तम व्यवस्था के साथ ही कृषि प्रसार कार्यक्रमों की भी व्यवस्था की जाय। इन कृषि विश्वविद्यालयों में 25% छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जाय तथा उपाधि देने से पूर्व फार्म पर एक वर्ष कृषि कार्य करना अनिवार्य किया जाय। इस स्तर पर कृषि शिक्षा प्रदान करने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) भारतीय पशु अनुसंधान (IVRI) और राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान अपने-अपने क्षेत्र में परास्नातक शिक्षा की व्यवस्था और शोध कार्य के लिए उत्तरदायी हैं। इनमें भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) कृषि शिक्षा के विस्तार व उन्नयन के लिए उत्तरदायी है।

व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा
(VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION)

आयोग के गठन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ता था। अतः आयोग की राय में माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण शिक्षा व उत्पादन में सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। इस सन्दर्भ में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये–

(i) माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाय और 20 वर्ष के अन्दर माध्यमिक स्तर पर 25% व उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 50% छात्रों को व्यावसायिक वर्ग में लाया जाए।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कृषि व कृषि से सम्बन्धित उद्योगों की शिक्षा दी जाय तथा नए पॉलिटेक्निक कॉलेज केवल औद्योगिक क्षेत्र में ही खोले जायें। इन कॉलेजों में महिलाओं की रुचि के उद्योगों की शिक्षा की व्यवस्था भी की जाय।

(iii) जूनियर टेक्निकल स्कूलों को टेक्निकल हाई स्कूलों में बदल दिया जाय।

(iv) इन विद्यालयों के पाठ्यक्रम अपने आप में पूर्ण होने चाहिए अर्थात् ये व्यवसायपरक होने चाहिए।

(v) इन पाठ्यक्रमों में सैद्धान्तिक ज्ञान की अपेक्षा व्यावहारिक प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जाय तथा इसके लिए अनुभव प्राप्त शिक्षकों की नियुक्त की जाय।

उच्च इंजीनियरिंग शिक्षा सम्बन्धी सुझाव(Suggestions about Higher Engineering Education)

(i) घटिया किस्म के इंजीनियरिंग कॉलेजों को बन्द कर दिया जाय व नए इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना मानव शक्ति की माँग के आधार पर की जाय।

(ii) ये सभी कॉलेज तकनीकी शिक्षा संस्थान (Technical Education Institute : TEI) द्वारा मान्यता प्राप्त हों तथा जो इंजीनियरिंग कॉलेज उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं, उनमें सुधार किया जाय।

(iii) इंजीनियरिंग की कुछ शाखाओं, जैसे–विद्युत्अणु-सम्बन्धी (Electronics) और उपकरण सम्बन्धी (Instrumentation) शिक्षा के लिए योग्य एवं प्रतिभाशाली बी. एस–सी. पास छात्रों को चुना जाय।

(iv) परिवर्तित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रमों को विभिन्न प्रकार से अद्यतन (Up-to-Date) बनाया जाय व इनमें विमान तकनीकी, नक्षत्र विज्ञान, रासायनिक तकनीकी आदि नए पाठ्यक्रम शुरू किए जायें।

(v) व्यावहारिक प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जाय तथा इसके लिए औद्योगिक संस्थानों का सहयोग लिया जाय।

(vi) इंजीनियरिंग कॉलेजों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में केवल उन्हीं छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाए, जो इंजीनियरिंग की स्नातक शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी उद्योग में 1 वर्ष कार्य कर चुके हों।

(vii) जहाँ आवश्यकता हो, पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किए जायें।

(viii) शिक्षकों को अपने-अपने क्षेत्र के अद्यतन ज्ञान से अवगत कराने के लिए 'ग्रीष्मकालीन संस्थानों' (Summer Institutes) की व्यवस्था की जाय।

विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान
(SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH)

आयोग के अनुसार देश के आर्थिक विकास, उसकी सुरक्षा और उसके आधुनिकीकरण के लिए विज्ञान की शिक्षा अति आवश्यक है और साथ ही इस क्षेत्र में निरन्तर अनुसंधान की आवश्यकता है। अतः आयोग ने देश में विज्ञान शिक्षा के विकास के सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिये–

(i) राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान (National Institute of Science) का पुनर्गठन किया जाय तथा वैज्ञानिक शोधों पर व्यय धनराशि के प्रतिशत में वृद्धि की जाय।

(ii) विज्ञान की शिक्षा प्रारम्भिक कक्षाओं से ही शुरु की जाय और इसके लिए क्षेत्रीय भाषाओं में वैज्ञानिक शब्दावली का विकास किया जाय।

(iii) विज्ञान तथा गणित के उच्च अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की जाय। इन केन्द्रों में योग्य व प्रतिभाशाली व्यक्तियों को शिक्षक नियुक्त किया जाय। यदि सम्भव हो तो कुछ व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हों।

(iv) कुछ विजिटिंग प्रोफेसर्स (Visiting Professors) को संविदा के आधार पर 2 से 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाय।

(v) विज्ञान के स्नातक, स्नातकोत्तर और विशेष पाठ्यक्रमों में सुधार कर उन्हें अद्यतन व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाय।

(vi) विज्ञान में दो वर्षीय स्नातकोत्तर शिक्षा के अतिरिक्त एक वर्षीय विशेष पाठ्यक्रम भी तैयार किए जायें, जिनमें विज्ञान की अद्यतन जानकारी दी जाय।

(vii) विश्वविद्यालय तथा इंजीनियरिंग संस्थान योग्य औद्योगिक कार्यकर्ताओं को पत्र्यवहार द्वारा शिक्षा तथा सायंकालीन कक्षाओं के लिए भर्ती करें। इन संस्थानों में डिप्लोमा तथा डिग्री कोर्सों के अतिरिक्त मिस्त्रियों (Mechanics), प्रयोगशाला शिल्पियों (Laboratory Technicians) तथा अन्य कुशल कार्यकर्ताओं (Skilled Operators) के लिए विशेष व लघुकोर्स आयोजित करें।

(viii) विज्ञान की शिक्षा हेतु योग्य व अनुभवी शिक्षक नियुक्त किए जायें तथा इन शिक्षकों को विज्ञान क्षेत्र की अद्यतन जानकारी हेतु ग्रीष्मकालीन संस्थाओं (Summer Institutes) में भेजा जाय। यहाँ विदेशी वैज्ञानिकों और विदेशों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों को व्याख्यान के लिए आमान्त्रित किया जाय।

(ix) विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के मूल्यांकन हेतु सैद्धान्तिक परीक्षा की अपेक्षा प्रायोगिक कार्य को महत्व दिया जाय।

(x) विश्वविद्यालय के गुणात्मक पक्ष में सुधार हेतु सामूहिक कार्य (Team work) का विकास किया जाय।

(IV) शिक्षा की नवीन संरचना व स्तर
(NEW STRUCTURE OF EDUCATION AND STANDARD)

आयोग ने शिक्षा में एकरूपता लाने हेतु, शिक्षा के विभिन्न स्तरों तथा उपस्तरों हेतु 'एक समान शिक्षा प्रणाली' का प्रारूप बताया है, जो निम्न प्रकार है–

शिक्षा प्रणाली का नवीन प्रारूप

1. **पूर्व प्राथमिक शिक्षा**–कक्षा 1 से पहले तक
2. **प्राथमिक शिक्षा**–(कक्षा I से VII या VIII तक)
   (i) अवर प्राथमिक–कक्षा I-IV या II से V तक
   (ii) उच्च प्राथमिक–कक्षा V-VII या VII से VIII तक
3. **माध्यमिक शिक्षा**-कक्षा VII से XII या IX से XII तक
   (i) अवर माध्यमिक शिक्षा–कक्षा VII से X या IX-X तक
   (ii) उच्च माध्यमिक शिक्षा–कक्षा XI से XII तक
4. **उच्च शिक्षा**–
   (i) प्रोफेशनल डिग्री
   (ii) सामान्य डिग्री
   (iii) अन्डर ग्रेजुएट
   (iv) पोस्ट ग्रेजुएट
5. **सामान्य शिक्षा**–
   (i) प्रथम स्तर की शिक्षा–प्री-स्कूल तथा प्री-प्राइमरी स्कूल
   (ii) द्वितीय स्तरीय शिक्षा–हाईस्कूल तथा हायर सेकेन्डरी स्कूल
   (iii) तृतीय स्तरीय शिक्षा–अन्डर ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट

आयोग ने विद्यालय शिक्षा की नवीन संरचना के विषय में कुछ सुझाव भी दिये हैं–

(1) सामान्य शिक्षा की अवधि 10 वर्ष की होनी चाहिए और इसमें प्राथमिक एवं निम्न माध्यमिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(2) प्राथमिक शिक्षा की अवधि 7 से 8 वर्ष हो तथा इसे 4 या 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा व 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा में विभक्त किया जाय।

(3) निम्न माध्यमिक स्तर पर छात्रों को दो प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए–(i) 2 या 3 वर्ष की सामान्य शिक्षा और (ii) 1 से 3 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा।

(4) 9वीं कक्षा से पृथक विद्यालय स्थापित किए जाने की प्रचलित विधि का अन्त कर देना चाहिए तथा 10वीं कक्षा तक छात्रों को किसी विषय में विशिष्टीकरण (Specialization) की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(5) माध्यमिक विद्यालय भी दो प्रकार के होने चाहिए–(i) हाईस्कूल और (ii) हायर सेकेण्डरी स्कूल। हाईस्कलों में शिक्षा की अवधि 10 वर्ष की और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में 12 वर्ष होनी चाहिए।

इसी प्रकार उच्च शिक्षा की नवीन संरचना हेतु निम्न सुझाव दिये हैं–

(1) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पश्चात् प्रथम डिग्री कोर्स की अवधि कम-से-कम 3 वर्ष की होनी चाहिए।

(2) द्वितीय डिग्री कोर्स की अवधि 2 या 3 वर्ष होनी चाहिए।

(3) कुछ विद्यालयों में 'ग्रेजुएट स्कूलों' की स्थापना की जाय, जिनमें कुछ विशेष विषयों में 3 वर्ष के स्नातकोत्तर कोर्स की व्यवस्था की जाय।

(4) उत्तर प्रदेश के त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स को कुछ विशिष्ट विषयों और विशिष्ट विश्वविद्यालयों में शुरू किया जाना चाहिए।

आयोग ने शिक्षा के इन सभी स्तरों के उन्नयन हेतु भी अपने सुझाव निम्न प्रकार दिये हैं—

(1) 10 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक उन्नति करके इस स्तर पर होने वाले अपव्यय में कमी की जानी चाहिए।

(2) इस अवधि में कक्षा 10 के स्तर का इतना उन्नयन कर दिया जाना चाहिए कि वह वर्तमान हायर सेकेण्डरी के स्तर पर पहुँच जाय।

(3) विश्वविद्यालयों की उपाधियों के स्तरों का उन्नयन करने के लिए इन उपाधियों के पाठ्यक्रमों में अधिक उन्नत विषय वस्तु का समावेश करना चाहिए।

(4) शिक्षा-स्तरों का उन्नयन करने के लिए शिक्षा के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।

(5) विद्यालय संकुलों (School Complexes) का यथाशीघ्र निर्माण किया जाना चाहिए। एक संकुल में एक माध्यमिक स्कूल और उसके निकटवर्ती सब प्राथमिक स्कूल होने चाहिए। प्रत्येक संकुल के सब स्कूलों द्वारा सामूहिक रूप से स्तरों के उन्नयन के लिए प्रयत्न किये जाने चाहिए।

(V) शिक्षक स्तर व सेवा शर्तों सम्बन्धी सुझाव
SUGGESTIONS REGARDING TEACHER'S STATUS AND SERVICE CONDITIONS)

आयोग के सभी सदस्य तत्कालीन अध्यापक की करुणाजनक स्थिति से परिचित थे अतः उनकी यह दृढ़ धारणा थी कि जब तक शिक्षक की स्थिति में समुन्नति नहीं की जाएगी तब तक सुयोग्य व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय की ओर आकर्षित नहीं होंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आयोग का विचार था कि **"शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक स्थिति को समुन्नत बनाने और प्रतिभाशाली तरुण व्यक्तियों को शिक्षण व्यवसाय के प्रति पुनः आकर्षित करने के लिए सघन एवं सतत् प्रयासों की आवश्यकता है।"**

Intensive and Continuous efforts are necessary to raise the economic, social and professional status of teachers and to feed back talented young persons into the profession. –Education Commission report, p. 617.

आयोग ने शिक्षकों के स्तर उन्नयन हेतु सर्वप्रथम उन्हें उच्च सामाजिक, आर्थिक व व्यावसायिक स्तर प्रदान करने हेतु, उनके वेतनक्रमों में सुधार की संस्तुति की, जो निम्न प्रकार है—

आयोग द्वारा प्रस्तावित वेतनमान

	वेतनमान
(A) प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक	
1. माध्यमिक शिक्षा प्राप्त अप्रशिक्षित शिक्षक	₹ 100-150
2. 5 वर्ष की सेवा के बाद उक्त शिक्षक	₹ 125-250
3. माध्यमिक शिक्षा प्राप्त प्रशिक्षित शिक्षक	₹ 150-280
4. चयन वेतनमान प्राप्त कुछ शिक्षक	₹ 250-300
(B) माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक	
1. अप्रशिक्षित स्नातक उपाधि प्राप्त शिक्षक	₹ 220 न्यूनतम

2. प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (Trained Graduate)	₹ 220-600
3. चयन वेतनमान प्राप्त शिक्षक	₹ 400-500
4. स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त माध्यमिक शिक्षक	₹ 300-600

(C) सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षक

1. प्रवक्ता जूनियर स्केल	₹ 400-25-600
2. प्रवक्ता सीनियर स्केल	₹ 400-30-650-40-800
3. सीनियर लेक्चरर या रीडर	₹ 700-40-1100
4. प्राचार्य (I)	₹ 700-40-1100
प्राचार्य (II)	₹ 800-50-1500
प्राचार्य (III)	₹ 1000-50-1500

(D) विश्वविद्यालयों के शिक्षक

1. प्रवक्ता	₹ 400-40-800-50-950
2. रीडर	₹ 700-50-1250
3. प्रोफेसर	₹ 1000-50-1300-60-1600

इन संस्तुतियों के साथ-साथ आयोग ने शिक्षकों के स्तर के उन्नयन हेतु निम्न सुझाव भी दिये–

1. केन्द्र सरकार द्वारा सभी शिक्षकों के लिए समुचित वेतनमान निर्धारित किये जायें तथा सभी नियमित शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों के समान महँगाई भत्ता दिया जाना चाहिए।

2. सरकारी तथा गैरसरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान समान होने चाहिए।

3. सभी वेतन दरों का समय-समय पर कम-से-कम पाँच वर्ष में एक बार तो अवश्य ही पुनर्निरीक्षण होना चाहिए।

4. ऊपर दिये गये वेतनमानों में शहरों में मिलने वाला प्रतिमाह निर्वाह भत्ता या अन्य भत्ते शामिल नहीं किये गये हैं। ये भत्ते ऊपर बताये गये वेतनमान के अतिरिक्त होंगे, जो समानता के अधिनियम के आधार पर मिलने चाहिए।

5. उक्त वेतन दरें सभी सरकारी, स्थानीय स्वायत्त निकायों और निजी संस्थाओं के स्कूलों के स्वायत्त निकायों और अध्यापकों को दी जायेंगी।

6. शिक्षक के रूप में योग्य व्यक्तियों की ही नियुक्ति की जायेगी तथा उनकी अतिरिक्त योग्यता हेतु उन्हें अधिक वेतन दिया जाय।

7. शिक्षकों की पदोन्नति उनकी योग्यता व कुशलता के आधार पर की जानी चाहिए। विशेष रूप से योग्य शिक्षकों को उनकी योग्यता के अनुरूप शिक्षण कार्य करने के अवसर दिये जाने चाहिए।

शिक्षण कार्य की दशायें व सेवा शर्तों पर सुझाव (SUGGESTIONS FOR SERVICE AND TEACHING CONDITIONS)

आयोग के अनुसार तात्कालिक समय में प्रत्येक राज्य में अध्यापकों की कार्य की दशाओं और सेवा की शर्तों में अनिश्चितता है। अध्यापक अनिश्चित भविष्य के कारण अपने व्यवसाय के प्रति न्याय नहीं कर पाते। इसलिए आयोग ने अध्यापकों हेतु उचित कार्य दशाओं का निर्धारण व सेवा शर्तों सम्बन्धी अग्रलिखित सुझाव दिये है–

(1) सभी नियमित शिक्षकों को (सरकारी तथा अनुदान प्राप्त) को भविष्यनिधि, पेंशन एवं बीमा (त्रिमुखी लाभ) आदि की सुविधायें दी जानी चाहिए।

(2) सरकारी तथा अनुदान प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की सेवाशर्तों में अन्तर नहीं होना चाहिए।

(3) शिक्षकों को प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार पर्यटन के लिए एल. टी. सी. (किराया भत्ता) या रियायती रेलवे पास की व्यवस्था करायी जानी चाहिए।

(4) कक्षा-शिक्षण के घण्टों के साथ-साथ सहगामी क्रियाओं के लिए भी अध्यापकों से कार्य लिया जाय, परन्तु यह ध्यान रहे कि उन पर कार्य का भार अधिक न हो।

(5) शिक्षकों को अपनी व्यावसायिक उन्नति करने के लिए उपयुक्त सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

(6) महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के क्रमशः 25 व 50 प्रतिशत शिक्षकों को आवास-सुविधा दी जाय।

(7) शिक्षकों को सभी नागरिक अधिकारों का उपयोग करने की स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए तथा उन पर किसी प्रकार के निर्वाचनों में भाग लेने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए।

(8) शिक्षकों की ट्यूशन पर रोक लगानी चाहिए।

(9) शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु स्त्रियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

(10) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला अध्यापकों के निवास की व्यवस्था आवश्यक है।

(11) आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले अध्यापकों को विशेष भत्ता, आवास व बच्चों की शिक्षा व्यवस्था व उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(VI) शिक्षक शिक्षा सम्बन्धी आयोग के सुझाव
(SUGGESTIONS REGARDING TEACHER EDUCATION)

आयोग के अनुसार शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए यह आवश्यक है, कि अध्यापकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु एक समुचित कार्यक्रम हो। आयोग ने अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को दर्शाते हुए लिखा है–**"शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के लिए अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा का ठोस कार्यक्रम अनिवार्य है।"**

"A sound programme of professional education of teachers is essential for the qualitative improvement of education." – **Education Commission Report, p.67**

अतः आयोग ने अध्यापक शिक्षा पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अध्यापकों की शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें देने से पूर्व तत्कालीन दोषों पर भी ध्यान दिया। आयोग के मतानुसार अध्यापक शिक्षा के प्रमुख दोष इस प्रकार हैं–

1. प्रशिक्षण संस्थाओं के स्तर में गिरावट का कारण योग्य अध्यापकों का अभाव है।

2. प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में नवीनता, सजीवता व वास्तविकता का अभाव है, क्योंकि इन संस्थाओं में दिया जाने वाला प्रशिक्षण अधिकांश रूप से परम्परागत है।

3. इन प्रशिक्षण संस्थाओं में सिखाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियाँ अत्यन्त प्राचीन होने के कारण वर्तमान उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक नहीं हैं।

4. माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रशिक्षित देने वाली संस्थाओं का इन विद्यालयों की दैनिक समस्याओं और विश्वविद्यालय के साहित्यिक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

इन्हीं सब दोषों को उजागर करते हुए आयोग ने इनके निराकरण हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिये, जो निम्न प्रकार हैं—

1. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अलगाव (Isolation in Teacher's Training Programme)— आयोग के मतानुसार दोनों स्तरों की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएँ एवं उनके कार्यक्रम सामान्य शिक्षा संस्थाओं और उनके कार्यक्रमों से भिन्न थे, अतः वे अलग-थलग से प्रतीत होते थे। उनमें क्रमिक सम्बन्ध स्थापित करने हेतु आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये—

1. 'शिक्षा' विषय को विश्वविद्यालयों के बी. ए. व एम. ए. के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए।

2. प्रत्येक राज्य में 'राज्य शिक्षक शिक्षा बोर्ड' (State Board of Teacher Education) की स्थापना की जाए, जो सभी स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं उनके कार्यक्रमों हेतु उत्तरदायी हो।

3. सभी प्रशिक्षण संस्थाओं में 'प्रसार-सेवा-विभाग' (Extension Service Department) का निर्माण किया जाना चाहिए।

4. सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को 'शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज' या ट्रेनिंग कॉलेज कहा जाए, ताकि शिक्षण संस्थाओं की पृथकता का अन्त हो सके।

5. सभी राज्यों में 'कॉम्प्रीहेन्सिव कॉलेजों' (Comprehensive Colleges) की स्थापना की जाय तथा उनमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाय।

6. कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों में 'शिक्षा स्कूल' (School of Education) स्थापित किये जाएँ, जिनमें शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाएँ और साथ ही शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसन्धान कार्य चलाए जाएँ।

7. शिक्षण अभ्यास हेतु मान्यता प्राप्त स्कूल ही चुने जाएँ, और चुने हुए स्कूलों को राज्य द्वारा 'सहकारी स्कूल' (Co-operating Schools) की मान्यता दी जाए और इन्हें साज सज्जा हेतु विशेष सहायता अनुदान दिया जाए।

8. समय-समय पर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं और सहकारी स्कूलों में अध्यापकों का आदान-प्रदान किया जाए।

2. शिक्षक शिक्षा के स्तर में गिरावट—आयोग के मतानुसार तत्कालीन प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं और माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं दोनों का स्तर बहुत निम्न था। अतः शिक्षक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये—

1. प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण के स्तर को बनाए रखने का उत्तरदायित्व 'राज्य शिक्षक शिक्षा बोर्ड' (State Board of Teacher Education) का होना चाहिए और माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण के स्तरमान को बनाए रखने का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालयों का होना चाहिए।

2. ट्रेनिंग कॉलेजों के अध्यापकों के पास शिक्षा की उपाधि (Degree in Education) के अतिरिक्त दो स्नातकोत्तर उपाधियाँ (Post Graduate Degrees) होनी चाहिए।

3. इन कॉलेजों के अध्यापकों में 'डॉक्टर' (Doctorate) की उपाधियों वाले शिक्षकों की संख्या उचित अनुपात में होनी चाहिए।

4. प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष होनी चाहिए और माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की अवधि फिलहाल तो 1 वर्ष की रहे, परन्तु आगे चलकर इसे 2 वर्ष की कर देना चाहिए। एक वर्ष में कार्य दिवसों की संख्या कम-से-कम 230 दिन होनी चाहिए।

5. माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षणार्थियों को उन्हीं स्कूली विषयों में शिक्षण अभ्यास कराया जाए, जिनका अध्ययन उन्होंने स्नातक स्तर पर अवश्य किया हो।

6. शिक्षण अभ्यास एवं अन्य प्रायोगिक कार्यों के आन्तरिक मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ बनाया जाए।

7. शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण योग्य छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाये और योग्य व्यक्तियों को इस ओर आकर्षित करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण निःशुल्क किया जाए और प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्तियाँ भी दी जाएँ। यदि सम्भव हो तो छात्राध्यापकों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।

8. वर्तमान प्रशिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं आदि में सुधार किया जाना चाहिए तथा अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए 'ग्रीष्मकालीन संस्थाओं' (Summer Institutes) की योजना आरम्भ की जानी चाहिए।

3. प्रशिक्षण सुविधाओं का असन्तुलित विस्तार (Unbalanced Expansion of Training Facilities)—आयोग ने प्रशिक्षण-सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से निम्नांकित विचार व्यक्त किये हैं—

1. प्रशिक्षण संस्थाओं के आकार में एक निश्चित योजना के अनुसार पर्याप्त विस्तार किया जाना चाहिए।

2. प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्र में शिक्षकों की वर्तमान और भविष्य की माँग के आधार पर प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण और माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों की स्थापना करें।

3. कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए, अध्यापन कार्य करते हुए अंशकालीन पाठ्यक्रम व पत्राचार पाठ्यक्रम की सुविधायें दी जायें।

4. अन्तर्सेवा प्रशिक्षण का अभाव (Lack of Inservice Training)—आयोग ने देखा कि उस समय देश में कार्यरत प्रशिक्षित शिक्षकों को नए-नए शैक्षिक प्रयोगों एवं तकनीकों से अवगत कराने हेतु अन्तर्सेवा प्रशिक्षण (Inservice Training) की व्यवस्था नहीं थी।

इस सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये—

1. किसी भी स्तर के शिक्षकों के लिए हर पाँच वर्ष बाद अन्तर्सेवा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

2. अन्तर्सेवा प्रशिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ-साथ विश्वविद्यालयों में भी दिया जाना चाहिए।

3. जहाँ तक सम्भव हो ग्रीष्मकालीन संस्थाओं में भी शिक्षकों के अन्तर्सेवा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय।

(VII) शैक्षिक अवसरों की समानता सम्बन्धी सुझाव
(SUGGESTIONS REGARDING EQUALIZATION OF EDUCATIONAL OPPORTUNITIES)

आयोग के अनुसार तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था में दो प्रकार की असमानतायें व्याप्त थीं—एक शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर बालक-बालिकाओं की शिक्षा में असमानता और दूसरी उच्च वर्ग, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वालों की शिक्षा में असमानता, जबकि लोकतन्त्रीय समाज में सबको शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। आयोग के शब्दों में—**"शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य—शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों में**